राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः— एफ. 4(ई)ाा/एपीओ/अलेसे—ााा/ 15469-80 दिनांकः— 16 सितम्बर, 2013

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित लेखाकर्मियों द्वारा विभागीय आदेश क्रमांक 8978—9078 दिनांक 24.05.2013 की अनुपालना में निदेशालय में दिनांक 27 मई से 28 जून 2013 तक आदेशों की प्रतीक्षा में रहने की अवधि के दौरान आवेदित किए अवकाश राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत निम्नानुसार स्वीकृत किए जाते हैं:—

क.सं.	नाम लेखाकार मय पदस्थापन स्थान	कब से कब तक	कुल दिवस	अवकाश का प्रकार
1	2	3	4	5
1.	श्री मूलचन्द (लिंक नं. 9383) अधीक्षण अभियन्ता एवं तकनीकी सहायक (प्रथम) भू जल विभाग, जोधपुर	28 मई 2013 से 13 जून 2013	17 दिवस	उपार्जित अवकाश
2.	श्री कालूदास (लिंक नं. 9467) जिला एवं सेशन न्यायाधीश जिला जोधपुर	28 मई 2013 से 13 जून 2013	17 दिवस	उपार्जित अवकाश
3.	श्री जयदेव शर्मा (लिंक नं. 9392) पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय जोधपुर	28 मई 2013 से 13 जून 2013	17 दिवस	उपार्जित अवकाश

उक्त लेखाकारों के आदेशों की प्रतीक्षा अवधि (दिनांक 27 मई से 28 जून 2013 तक) को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(8)(बी)(ााा) के अन्तर्गत वित्त विभाग के पत्रांक एफ.2(25)वित्त/राजस्व/2010 दिनांक 02.09.2013 द्वारा नियमित कर वेतन आहरण कर भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने के फलस्वरूप उक्त अवधि का वेतन नियमानुसार कोषालय जोधपुर शहर जोधपुर से आहरण करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

(वीरबाला जोशी)
निदेशक,
कोष एवं लेखा विभाग

क्रमांकः— एफ. 4(ई)ाा/एपीओ/अलेसे—ााा/ 15469-80 दिनांकः— 16 सितम्बर, 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके एफ.2(25)वित्त/राजस्व/2010 दिनांक 02.09.2013 में सूचनार्थ।
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष .... को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मी का गत भुगतान प्रमाण—पत्र के अनुसार ही आदेशों की प्रतीक्षा अवधि के वेतन का भुगतान करावें।
3. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय जोधपुर शहर जोधपुर।
4. संयुक्त निदेशक, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर।
5. सम्बन्धित लेखाकारों को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपना गत भुगतान प्रमाण—पत्र सम्बन्धित विभाग/ कार्यालय को प्रस्तुत करें एवं प्राप्त भुगतान की सूचना भिजवावें।
6. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
7. निजी सहायक, निदेशक महोदया।
8. व्यक्तिगत पंजिका।
9. रक्षित पंजिका/आदेश पंजिका।

(के. एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक—I)
कोष एवं लेखा विभाग

E:\Rajeev\letter 2013.doc